

08.01.2020



पत्रावली पेश हुई। अपीलांट एवं अधिवक्ता अपीलांट अनुपस्थित। न्यायालय समय तक रूक-रूक कर आवाजे दिलाई गई बावजूद सूचना अनुपस्थित। अपीलांट को दिनांक 27.03.2019 से दिनांक 08.01.2020 तक कुल छः अवसर दिये गये रेस्पोंडेंट के नाम सम्मन पेश करने के लेकिन अपीलांट द्वारा इसके बावजूद भी रेस्पोंडेंट के नाम सम्मन पेश नहीं किये जो न्यायालय आदेश की अवहेलना एवं प्रकरण में पैरवी को लेकर अपीलांट में किसी भी प्रकार की गंभीरता नजर नहीं आती है। अतः अपील अपीलांट अदम हाजरी, अदम पैरवी एवं अदम पालना में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

08/1/20  
राजस्थान अपील प्राधिकारी  
वाडमेर